



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर घर में घुसकर धमकी देने वाले 02 अभियुक्तों को 02-02 वर्ष के कारावास व ₹3,000 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु०अ०सं०- 197/1998 धारा- 452,323,504,506,394 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.सन्तोष कुमार पुत्र बेनीप्रसाद 2.महेश कुमार पुत्र बारेलाल निवासीगण ग्राम कुतुबपुर थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 02-02 वर्ष के कारावास व ₹3,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री अशोक
कुमार शुक्ला



विवेचक-
उ०नि० एस.पी.
सिंह



पैरोकार- थाना कुरारा
का० रजनीश कुमार